उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४—अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
फैक्स नं0. 0522—228664
☎ नं0. 0522—221821

पत्र सं0: 507—मा0सं0प्र0—02 / उनिलि / 2018—48—मा0सं0प्र0—02 / 2001 *दिनांक :24 फरवरी, 2018*

फैक्स (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर— I / II),
अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी तापीय विद्युत गृह /
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई / तापीय परिचालन
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर) / लखनऊ ।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :— *उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी / कर्मचारी, जो दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहें हैं अथवा जिन्होंनें दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, को महंगाई भत्ते के दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से बढ़ी दर पर भुगतान के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0: 5 / 2017 / वे0आ0—1—467 / दस—2017—8(एम) / 2016, दिनांक 13.07.2017 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या: 1698—मा0सं0प्र0—(02) / उ0नि0लि0 / 2016—48—मा0सं0प्र0—02 / 2001, दिनांक 20.08.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी / कर्मचारी, जो किन्हीं कारणोंवश दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहें हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को दिनांक 01.01.2016 तथा दिनांक 01.01.2017 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :—

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2016	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 256 प्रतिशत
01 जनवरी, 2017	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत

2— इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उत्पादन निगम के आदेश सं0: सचिव / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / 1154, दिनांक 30 अगस्त, 2000 के प्रस्तर—2, 7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3— महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम—9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4— इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

क्रमशः..... 2/—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४—अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
फैक्स नं0. 0522—2286643
नं0. 0522—2218213

5— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते के दिनांक 01 जुलाई, 2016 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :—

I- दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 31.07.2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01.08.2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31.01.2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में ज़मा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01.08.2017 से (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर 2017 को देय) से नकद किया जायेगा।

II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर—1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय मंहगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

7— निगम के आदेश सं0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।

8— उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
अनुसचिव(मा0सं0—02)

क्रमशः 3